



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
पी०एम०जी०एस०वाई०, सिंचाई खण्ड,
उत्तरकाशी।



दूरभाष एवं फैक्स नं०-01374.223804

Email Id :- cepmggyuttarkashi@rediffmail.com

पत्रांक 446/पी०एम०जी०एस०वाई०/सि०ख०/
सेवा मे,

दिनांक 05/04/2022

प्रभागीय वनाधिकारी,
कोटबंगला, उत्तरकाशी
वनप्रभाग कोटबंगला उत्तरकाशी।

विषय- प्रधानमंत्री ग्रामसड़क योजना के अन्तर्गत धरासू-चिन्यालीसौड़ से कोटबागी के किमी० 7.00 से 10.00 ग्राम कोट तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 262 हे० आरक्षित वन भूमि को गैरवान की कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग उत्तराखण्ड को प्रत्यावर्तन करने हेतु विधिवत स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक के क्रम में अवगत कराना है, कि इस कार्यालय के पत्र संख्या-1860/पी०एम०जी०एस०वाई०/सि०ख०/दिनांक 05.10.2015 के द्वारा विषयांकित मोटर मार्ग की अनुपालन आख्या आपको पूर्व में प्रेषित की जा चुकी है। परन्तु आतिथि तक उक्त प्रस्ताव पर विधिवत स्वीकृति प्राप्त नहीं हो पायी है।

अतः उक्त प्रस्ताव पर विधिवत स्वीकृति हेतु अनुपालन आख्या आवश्यक कार्यवाही हेतु पुनः आपको प्रेषित है।

संलग्न:-सम्बन्धित पत्रावली।

प्रार
05/04/22

o/c


अधिशासी अभियन्ता,
पी०एम०जी०एस०वाई०, सिंचाई खण्ड,
उत्तरकाशी

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

पी.एम.जी.एस.वाई. सिंचाई खण्ड,

उत्तरकाशी

1860/पीएमजीएसवाई/सिंचाई

दिनांक 5/11/2015

प्रभागीय वनाधिकारी
उत्तरकाशी वन प्रभाग,
कोटबंगला-उत्तरकाशी।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत चिन्यालीसौंड से कोटबागी मोटर मार्ग के किमी 7.00 से 10.00 ग्राम कोट तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 0.262 है० आरक्षित वन भूमि को गैर बानकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग उत्तराखण्ड को प्रत्यावर्तन करने हेतु विधिवत स्वीकृति के सम्बन्ध में।

अपर सचिव उत्तराखण्ड शासन का पत्रांक संख्या 216/X-4-15/1(94)/2015, एवं नोडल एवं कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण इन्दिरा नगर फारैस्ट कालोनी उत्तराखण्ड देहरादून का पत्रांक 3022/एफ0पी0/यू0के0/रोड/8880/2015 दिनांक 24.04.2015

उपरोक्त सन्दर्भित पत्रों के क्रम में अवगत कराना है, कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चिन्यालीसौंड, से कोटबागी मोटर मार्ग के किमी 7.00 से 10.00 ग्राम कोट तक मोटर पर 0.262 है० में एवं 8 वृक्षों के पातन की सैद्धांतिक स्वीकृति पूर्व में ही प्राप्त है, सैद्धांतिक स्वीकृति की शर्तों 1 से 8 तक पूर्ण कर शर्तों का निम्नानुसार पालन किया जा चुका है।

संख्या 1 से 2 के अनुपालन में रिक्त बड़े स्थानों उपर वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख-रखाव की शर्त तथा एन0पी0वी0 की धनराशि यू0आर0आर0डी0ए0 देहरादून के पत्रांक संख्या 'आई-3-20/यू0आर0आर0डी0ए0/12 दिनांक 18.05.2015 द्वारा जमा किया जा चुका है। लेपि संलग्न)।

संख्या 3 के अनुपालन में एन0पी0वी0 की बढ़ती हुई धनराशि तथा प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा जमा की गयी जिसका प्रमाण-पत्र संलग्न किया गया है।

संख्या 4 व 5 के अनुपालन में जमा की गई धनराशि एवं बैंक के विवरण की छायाप्रति संलग्न है।

संख्या 6 व 7 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा जनपद कार्यबल की संस्तुति, भू-वैज्ञानिक के प्रति एवं प्रस्ताव में निहित सभी शर्तों का पालन किया जाएगा।

संख्या 8 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन अधिकार अधिनियम 2006 के आवश्यक -पत्र संलग्न किये गये हैं, सुलभ सन्दर्भ हेतु प्रमाण-पत्र की छायाप्रति संलग्न है।

संख्या 9 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी पूर्णतः सहमत है।

इस प्रकार विधिवत स्वीकृति हेतु सभी शर्तों का पालन विभाग द्वारा कर लिया गया है, अतः स्वीकृति के सम्बन्ध में अग्रोत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

अधिशासी अभियन्ता
पी.एम.जी.एस.वाई. सिंचाई खण्ड,
उत्तरकाशी

/पी0एम0जी0एस0वाई0/सिंचाई/तदिनांक।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-
जिलाधिकारी उत्तरकाशी।

मुख्य विकास अधिकारी उत्तरकाशी।

अधीक्षण अभियन्ता पी0एम0जी0एस0वाई0 वृत्त गसूरी।

सहायक अभियन्ता-द्वितीय पी 0एम0जी0एस0वाई सिंचाई खण्ड उत्तरकाशी।

प्रेषक,

पी०के०पात्रो,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

संख्या: 216 /X-4-15/1(94)/2015

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन भूमि हस्तांतरण, इन्दिरा नगर,
फारेस्ट कालोनी देहरादून।

पी० एम० जी० एस० वाई०
दिनांक: 18/03/2015
मांक: 1899
दिनांक: 18/03/2015

वन एवं पर्यावरण अनुभाग-4

देहरादून: दिनांक: 17 मार्च, 2015

विषय: जनपद-उत्तरकाशी में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत चिन्वालीसौड़ से कोट-बागी नोटर मार्ग के कि०मी० 07 से कि०मी० 10 ग्राम कोट तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 0.262 हे० आरक्षित वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या-2709/FP/UK/ROAD/8880/2014 दिनांक 27 मार्च, 2015 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय जनपद उत्तरकाशी (आपदाग्रस्त जिला श्रेणी सूची में निर्धारित) में जनपद-उत्तरकाशी में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत चिन्वालीसौड़ से कोट-बागी मोटर मार्ग के कि०मी० 07 से कि०मी० 10 ग्राम कोट तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 0.262 हे० आरक्षित वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन की सैद्धान्तिक स्वीकृति, भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्र संख्या एफ०न०-11-09/98-एफ० सी० दिनांक 07 नवम्बर, 2014 में निहित प्रावधानों द्वारा प्रदत्त प्राधिकार का प्रयोग करते हुए अधोलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं-

1. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस-पास रिक्त पड़े स्थानों पर नियमानुसार निर्धारित वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वे.न. दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित) जमा की जाएगी।
2. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अंतर्गत आई०ए०सं०-566 एवं भारत सरकार पत्र सं०-5-3/2007-एफ०सी० दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।
3. प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन०पी०वी० की दर में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्त अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी।
4. भारत सरकार पत्र सं० 5-3/2007-एफ०सी० दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये अनुदेशों के अनुसार एन०पी०वी० तथा दूसरी सभी निधियाँ प्रतिपूर्ति पौधरोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के लेखा सं०-एस०बी०-25229 कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम), ब्लाक-11 भूतल सी०जी०ओ० काम्पलैक्स, फेज-1, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 में जमा की जाएगी।
5. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अंतर्गत आई०ए०सं०-566 एवं भारत सरकार पत्र सं० 5-3/2007-एफ०सी० दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) तथा दूसरी सभी निधियाँ प्रतिपूर्ति पौधरोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम), ब्लाक-11 भूतल सी०जी०ओ० काम्पलैक्स, फेज-1, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 में जमा करने के उपरांत ही पावती की छायाप्रति, जमा की गई धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/चेक की छायाप्रति सहित प्रस्ताव के संदर्भ में अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गई धनराशि का मदवार विवरण अर्थात् एन०पी०वी, क्षतिपूरक वृक्षारोपण प्रस्तावित स्थल के

PC Attended

सहायक अभियन्ता
पी० एम० जी० एस० वाई०
उत्तरकाशी

- आस-पास वृक्षारोपण तथा अन्य हेतु जमा धनराशि का विवरण, दिया गया हो) उपलब्ध कराये जाने के पश्चात ही निर्गत स्वीकृति मान्य होगी।
6. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू-वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।
 7. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में राज्य सरकार, पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।
 8. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन अधिकार अधिनियम, 2006 में उल्लिखित दिशा-निर्देशानुसार ; आवश्यक प्रमाण-पत्र एवं अभिलेख उपलब्ध कराने होंगे।
 9. उपरोक्त शर्तों के अनुपालन पश्चात प्रकरण में विधिवत स्वीकृति निर्गत की जायेगी।

भवदीय,

(पी0के0पात्र0)

अपर सचिव।

संख्या: 216 (1)/ X-4-15/1(94)/2015, तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, एफ0आर0आई0, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. मुख्य वन संरक्षक गढ़वाल, पौड़ी।
5. जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।
6. प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी।
7. अधिशासी अभियंता, पी0एम0जी0एस0वाई0, उत्तरकाशी।
8. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (NIC), उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि कृपया इस शासनादेश को एन0आई0सी0 की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

Akhil

(अखिलेश मिश्रा)

अनु सचिव।

Shri. Suman
K. L. Lal
P. K. Singh
K. A.

PC Attested

[Signature]

सहायक अभियन्ता

पी0 एम0 जी0 एस0 वाई0

सि0 ख0 (उत्तरकाशी)

2015/11/10

मेल द्वारा
दिनांक 11-8-15

उत्तराखण्ड ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण

ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन का अभिकरण
प्रथम तल, पंचायती राज निदेशालय,
आई0टी0 पार्क के सामने, सहस्रधारा रोड, देहरादून

ई-मेल :- urrda@yahoo.com

दूरभाष :- 0135-2608125 फैक्स :- 2608126

पत्रांक 402 /आई-3-20/यू0आर0आर0डी0ए0/12 दिनांक 18 मई 2015

सूचना

शाखा प्रबन्धक,
ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स,
रेसकोर्स, देहरादून।

विषय:- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत आपकी शाखा में संचालित राज्य मद खाता सं0 15262011001939 से कारपोरेशन बैंक लोधी शाखा नई दिल्ली के खाता सं0-037100101025229, में धनराशि जमा करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक निम्न सूची के अनुसार बैंक सं0-058219 दिनांक 18.05.2015 धनराशि रु 82,25,131.00 संलग्न कर इस शर्त से प्रेषित है कि कृपया इसका भुगतान RTGS के माध्यम से Compensatory Afforestation Fund (CAF) Uttarachal SB/AC No 037100101025229 कारपोरेशन बैंक लोधी शाखा नई दिल्ली को करने का कष्ट करें। RTGS हेतु कारपोरेशन बैंक का विवरण निम्नानुसार है।

Name:- Compensatory Afforestation Fund (CAF) Uttarakhand
Name of Bank:- Corporation Bank
Address:- Lodhi Road Branch New Delhi.
IFC Code:- CORP0000371
A/C No:- 037100101025229
MICR Code:- 110017007
Branch code:- 00371

क्रस	प्रस्ताव का नाम	नोडल अधिकारी के सैद्धान्तिक स्वीकृति का पत्रांक एवं दिनांक	जनपद	देय धनराशि			योग
				क्षतिपूर्क वृक्षारोपण	एन0पी0वी0	मार्ग के दोनों ओर वृक्षारोपण हेतु	
1	रैस से मटियागा मोटर मार्ग	पत्रांक-3029 / F.P./U.K/Road /9684/2015 दिनांक 25.04.2015	चमोली	1360216.00	4018820.00	1359000.00	6738036.00
2	भीरी से डमार मोटर मार्ग	पत्रांक-3017 / F.P./U.K/Road /10928/2015 दिनांक 14.04.2015	रुद्रप्रयाग	192665.00	473040.00		665705.00
3	चिन्यालीसोड से कोट-बागी मोटर मार्ग	पत्रांक-3022 / F.P./U.K/Road /8880/2015 दिनांक 24.04.2015	उत्तरकाशी	600000.00	221390.00		821390.00
			योग	2152881.00	4713250.00	1359000.00	8225131.00

संलग्नक-उक्त बैंक

अधिशाली अभियन्ता

यू0आर0आर0डी0ए0

18/05/15

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

नोडल अधिकारी एवं अपर प्रमुख वन संरक्षक, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, वन विभाग, इन्दिरा नगर, फारेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड देहरादून।

अधिशाली अभियन्ता, पी0आई0यू0 (पी0एम0जी0एस0वाई0), चमोली/रुद्रप्रयाग/उत्तरकाशी।

TR No- ORBCH.15139068506

Dt. = 19/5/15

अधिशाली अभियन्ता

यू0आर0आर0डी0ए0



Ministry of Environment, Forest and Climate Change
Government of India



PARIVESH
परिवेश

"Pro Active and Responsive facilitation by Interactive, Virtual and Environmental Single window Hub"

12:25:18 PM

My Account > My Proposals Environment Clearance > Only CR2 Clearance > My Proposals Forest Clearance > My Proposals Wildlife Clearance > Help >

Online payment history made by User Agency under CAMPA

Help

Sno.	Proposal Detail	Application No	Application No (New)	Date of IN-PRINCIPLE	Amount to be Paid / Amount Paid (in Rs.)	Payment Status	Payment Detail	Demand Letter
1	FE/UK/ROAD/38017/2019 Thuring to Salang Motor Road	ROAD/38017/2019	6119017972	24 Sep 2020	CA: 2189573/- PCA: 0/- Safety Zone: 0/- NPV: 3132279/- Other Charges1: 0/- Other Charges2: 0/- Other Charges3: 0/- Total: 4322552/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On Bank Name Mode of Payment Challan Generated On Transaction Date	1:05 Oct 2020 : Corporation Bank : NEFT/RTGS (Challan) : 05 Oct 2020 : 02 Jan 2021
2	FE/UK/ROAD/3890/2015 BT Road to Kurnool Motor Road	ROAD/3890/2015	6119500144	25 Oct 2018	CA: 1165687/- PCA: 0/- Safety Zone: 0/- NPV: 1597050/- Other Charges1: 0/- Other Charges2: 0/- Other Charges3: 0/- Total: 2753737/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On Bank Name Mode of Payment Challan Generated On Transaction Date	1:29 Aug 2019 : Corporation Bank : NEFT/RTGS (Challan) : 10 Aug 2019 : 07 Sep 2019
3	FE/UK/ROAD/38571/2014 Construction of Chinnalaur Jagadh motor road to Sagodi motor Road	ROAD/38571/2014	11385712014559	21 Apr 2015	CA: 377234/- PCA: 0/- Safety Zone: 0/- NPV: 1114553/- Other Charges1: 0/- Other Charges2: 0/- Other Charges3: 0/- Total: 235377/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On Bank Name Mode of Payment Challan Generated On Transaction Date	1:25 Apr 2015 : Corporation Bank : NEFT/RTGS (Challan) : 10 Jul 2015
4	FE/UK/ROAD/38574/2015 Nakun Singat Motor Road To Padu Motor Road	ROAD/38574/2015	11385742015610	22 May 2015	CA: 282920/- PCA: 0/- Safety Zone: 0/- NPV: 922740/- Other Charges1: 0/- Other Charges2: 0/- Other Charges3: 0/- Total: 1206660/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On Bank Name Mode of Payment Challan Generated On Transaction Date	1:24 May 2015 : Corporation Bank : NEFT/RTGS (Challan) : 15 May 2015
5	FE/UK/ROAD/3880/2014 Chinnalaur to Koz-Bagi motor Road From Km. 7.00 to Km. 10.00 till Kot Village	ROAD/3880/2014	11388002014655	17 Apr 2015	CA: 0/- PCA: 0/- Safety Zone: 0/- NPV: 600000/- Other Charges1: 0/- Other Charges2: 0/- Other Charges3: 0/- Total: 600000/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On Bank Name Mode of Payment Challan Generated On Transaction Date	1:23 Jun 2015 : Corporation Bank : NEFT/RTGS (Challan) : 19 May 2015

12:25 PM
4/6/2021

19

परियोजना का नाम:- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत चिन्यालीसौड़ से कोट-बागी मोटर मार्ग के किमी० 7.00 से किमी० 10.00 कोट गाँव तक मोटर मार्ग निर्माण (लम्बाई 3.00 किमी०) हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव (कुल वन भूमि 0.398 है०)।

एन०पी०वी० जमा कराये जाने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रकरण में एन०पी०वी० की देय धनराशि 336310.00 वन विभाग के पक्ष में जमा करायी जायेगी। इसके अतिरिक्त यदि मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा एन०पी०वी० की धनराशि में कोई बढ़ोतरी की जाती है तो एन०पी०वी० की अतिरिक्त धनराशि भी पी० एम० जी० एस० वाई०, सिंचाई खण्ड,, उत्तरकाशी द्वारा जमा करा दी जायेगी।


सहायक अभियन्ता,
पी० एम० जी० एस० वाई०,
सिंचाई खण्ड, उत्तरकाशी

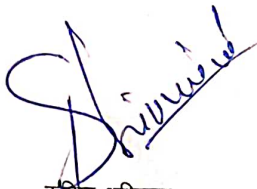

अधिशाली अभियन्ता,
पी० एम० जी० एस० वाई०,
सिंचाई खण्ड, उत्तरकाशी

50

परियोजना का नाम:- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत चिन्यालीसौड़ से कोट-वागी मोटर मार्ग के किमी० 7.00 से किमी० 10.00 कोट गाँव तक मोटर मार्ग निर्माण (लम्बाई 3.00 किमी०) हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव (कुल वन भूमि 0.398 है०)।

भू-वैज्ञानिक की आख्या

भू-वैज्ञानिक आख्या संलग्न है।



कनिष्ठ अभियन्ता,
पी० एम० जी० एस० वाई०,
सिंचाई खण्ड, उत्तरकाशी



सहायक अभियन्ता,
पी० एम० जी० एस० वाई०,
सिंचाई खण्ड, उत्तरकाशी



अधिरासी अभियन्ता,
पी० एम० जी० एस० वाई०,
सिंचाई खण्ड, उत्तरकाशी

(9) 51

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग
देहरादून।

(भूगर्भीय आख्या)

आख्या संख्या 57 / 2748 / 14

जनपद उत्तरकाशी में प्र० ग्रा० सड़क योजना में चिन्वालीसौड़ से कोट-बागी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु प्रस्तावित समरेखन की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या।

PC Attested

जुलाई 2014


सहायक अभियन्ता
निर्वाह खण्ड लोक निर्माण विभाग
उत्तरकाशी



कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग, देहरादून
OFFICE OF THE ENGINEER IN CHIEF, PWD, DEHRADUN, UTTARAKHAND

Phone&Fax: +91135-2530467, 2530431

E-Mail-epwdua@rediff.com

पत्रांक:- 70/भू०/लो०नि०/6/14

दिनांक:- 1/07/2014

सेवा में,

अधिसासी अभियन्ता,
सिंचाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
उत्तरकाशी।

विषय:- मार्ग समरेखन की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या।

महोदय,

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में प्रस्तावित चिन्यालीसौड़ से कोट-बागी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु प्रस्तावित समरेखन की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या सूचनार्थ एवं आगे की आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न की जा रही है।

संलग्नक-यथोपरि।

पत्रांक:-

H. Kumar
1.7.14
वरिष्ठ भूवैज्ञानिक
दिनांक:-

प्रतिलिपि:- कार्यालय प्रमुख अभियन्ता यातायात वर्ग लो०नि०वि० देहरादून को आख्या की प्रतिसहित को सूचनार्थ प्रेषित।

वरिष्ठ भूवैज्ञानिक

PC Attested

सहायक अभियन्ता
सिंचाई खण्ड लो०-नि० वि०
उत्तरकाशी

10
53

जनपद उत्तरकाशी में प्र० ग्रा० सड़क योजना मे चिन्यालीसौड़ से कोट-बागी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु प्रस्तावित समरेखन की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या।

1. सिंचाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग उत्तरकाशी के अन्तर्गत 10 कि०मी० लम्बाई में चिन्यालीसौड़-कोट-बागी मोटर मार्ग का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। अधिशासी अभियन्ता सिंचाई खण्ड लोक निर्माण विभाग उत्तरकाशी के अनुरोध पर प्रस्तावित समरेखन का अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 19.6.2014 को संबंधित सहायक अभियन्ता श्री के० सी० त्यागी एवं कनिष्ठ अभियन्ता श्री शिवराज रावत के साथ निरीक्षण किया गया।
2. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज-11 में चिन्यालीसौड़ से कोट-बागी मोटर मार्ग का 10.00 कि०मी० लम्बाई में निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। निरीक्षण के समय अवगत कराया गया कि पूर्व में राज्य योजना में यह मार्ग 7.00 कि०मी० लम्बाई के लिये स्वीकृत था तथा वह समरेखन भी निर्धारित हो चुका था। प्र० ग्रा० सड़क योजना में अब 7.00 कि० मी० के उसी समरेखन को अपनाया गया है तथा आगे कोट गांव तक 3.00 कि०मी० नया समरेखन किया गया है। यह समरेखन चिन्यालीसौड़ में सिंचाई विभाग की कालोनी के मार्ग में सूरीदांग नामक स्थान से आरम्भ होता है तथा चिन्यालीगांव एवं बागी होते हुये निर्धारित 10.00 कि०मी० लम्बाई में कोट पहुंच कर पूर्ण होता है। अवगत कराया गया है कि समरेखन नाप भूमि एवं वन भूमि से होकर गुजरता है। मार्ग निर्माण हेतु 7.29 है० नाप भूमि एवं 1.71 है० वनभूमि के हस्तान्तरण की आवश्यकता बताई गई है। समरेखन में कुल 13 हेयर पिन बैंड्स प्रस्तावित है, जिनमें पांचवा एवं छठा बैंड बहुत निकट है, (क्रास सैक्शन 4/16 व 4/19) अतः विस्तृत सर्वेक्षण के समय इनके मध्य दूरी बढ़ाये जाने पर विचार किया जाये। स्थल निरीक्षण के दिन समरेखन क्षेत्र में प्रथम दृष्टया कोई अस्थिरता दृष्टिगोचर नहीं हुई।
3. समरेखन क्षेत्र की भूगर्भीय स्थिति, भू-आकृति एवं उक्त प्रस्तर में वर्णित तथ्यों को ध्यान में रखते हुये निम्न सुझाव दिये जा रहे हैं, जिन्हें प्रस्तावित मार्ग निर्माण में सम्मिलित किया जाना आवश्यक है।
 - (क) यथासम्भव मार्ग की पूरी चौड़ाई कटान करके प्राप्त की जाये। यह भविष्य में मार्ग की स्थिरता की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जहां रिटेनिंग दीवार का निर्माण अपरिहार्य हो वहां इनका निर्माण फर्म स्ट्रेटा पर समुचित परिकल्पना के आधार पर कराया जायें।
 - (ख) यह सुनिश्चित किया जाये कि समरेखन में प्रस्तावित हेयर पिन बैंड कम ढलान युक्त स्थिर भूमि में सावधानीपूर्वक बनाये जाये। पास-पास स्थित बैंड्स के मध्य यथासम्भव दूरी बढ़ाई जाये तथा एक के ऊपर दूसरा बैंड ना बनाया जाये।
 - (ग) तीव्र ढलान में मार्ग की एक से अधिक आर्म्स की स्थिति को avoid किया जाना चाहिये अन्यथा मार्ग के कटान के बाद स्थानीय भूस्खलन होने तथा मार्ग के क्षतिग्रस्त होने की सम्भावना हो सकती है।
 - (घ) समरेखन के समीप स्थित घरों से सुरक्षित दूरी रखते हुये बिना विस्फोटकों का प्रयोग किये मार्ग कटान किया जाये।
 - (ङ) समरेखन में तीव्र पहाड़ी ढलान वाले भाग में सावधानीपूर्वक मार्ग कटान किया जाये जिससे कोई अस्थिरता उत्पन्न न हो।

PC Attested

सहायक अभियन्ता
सिंचाई खण्ड लो० नि० वि०
उत्तरकाशी

- (च) जहां मार्ग कटान की ऊंचाई अधिक हो और स्ट्रेटा कमजोर हो, आवश्यक होने पर उस भाग में मार्ग कटान के साथ-साथ समुचित ग्रेस्ट वाल का निर्माण कराया जाये।
- (छ) जहाँ आवश्यक हो मार्ग से ऊपर व नीचे पहाड़ी ढलान पर समुचित पौधों का रोपण किया जाये जिससे ढलान पर भूक्षरण की प्रक्रिया को नियंत्रित रखा जा सके।
- (ज) वर्षा के पानी की समुचित निकासी हेतु रोडसाईड ड्रेन एवं स्कपर का प्रावधान किया जायें। यह भी सुनिश्चित किया जाये कि स्कपर के पानी से भूक्षरण न हो।
- (झ) पर्वतीय क्षेत्र में मार्ग निर्माण के लिये निर्धारित सिविल अभियांत्रिकी के अन्य मानको एवं विशिष्टियों का भी पालन किया जाये।

4. मार्ग के नव निर्माण विषयक स्थायित्व सम्बंधी बिन्दु:-

- (क) मार्ग के कटान के पश्चात हिल साईड में जिस स्थान पर over burden material होगा तथा पहाड़ी ढलान slope forming material के angle of repose से अधिक होगा उस भाग में वर्षाकाल में पहाड़ी ढलान के अस्थिर होने की सम्भावना हो सकती है।
- (ख) तीव्र चट्टानी ढलान में blasting किये जाने पर चट्टान के ज्वाइन्ट्स सक्रिय हो सकते हैं तथा नई दरारें भी उत्पन्न हो सकती हैं, जिनके कारण विपरीत परिस्थितियों में अस्थिरता उत्पन्न हो सकती है। अतः जहां आवश्यक हो मार्ग कटान में नियंत्रित ब्लास्टिंग की जाये।

6. चिन्यालीसौड़-कोट-बागी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 10.00 कि०मी० लम्बाई का प्रस्तावित समरेखन वर्तमान परिस्थितियों में उपरोक्त सुझावों के साथ मार्ग निर्माण के लिये उपयुक्त प्रतीत होता है। इस हेतु प्रस्तावित भूमि भूगर्भीय दृष्टि से उपयुक्त है।

टिप्पणी:-

(1) भूमि हस्तांतरण की दृष्टि से समरेखन क्षेत्र में किये गये निरीक्षण एवं खण्ड द्वारा उपलब्ध कराये गये सर्वेक्षण विवरण के आधार पर यह एक जनरलाइज्ड आख्या है। मार्ग कटान के पश्चात् स्थिति में परिवर्तन भी सम्भव है। समरेखन/मार्ग पर किसी विशिष्ट बिन्दु पर यदि सुझाव की आवश्यकता हो तो उसे अलग से अवगत कराया जाए।

(2) मुख्य अभियन्ता, स्तर-1, लो० नि० वि०, देहरादून द्वारा समस्त अधीक्षण अभियन्ताओं को मार्गों के निर्माण एवं समरेखन निर्धारण के सम्बन्ध में प्रेषित पत्रांक 7272/8(1) याता०-उ०/०५ दि० 16.11.2005 में दिये गये निर्देशों का भी अनुपालन किया जाये।

PC Attested

सहायक अभियन्ता
सिंचाई खण्ड लो० नि० वि०
उत्तरकाशी

H. Kumar
1.7.14
वरिष्ठ भूवैज्ञानिक
कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
लो० नि० वि० उत्तराखण्ड
देहरादून

(55)

परियोजना का नाम:- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत चिन्यालीसौड़ से कोट-बागी मोटर मार्ग के किमी० 7.00 से किमी० 10.00 कोट गाँव तक मोटर मार्ग निर्माण (लम्बाई 3.00 किमी०) हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव (कुल वन भूमि 0.398 है०)।

भू-वैज्ञानिक/ जिला टॉस्क फोर्स की संस्तुतियों का अनुपालन किये जाने का प्रमाण-पत्र।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना हेतु भू-वैज्ञानिक/जिला टॉस्क फोर्स द्वारा दिये गये सुझावों/शर्तों का निर्माण कार्य के दौरान पी० एम० जी० एस० वाई०, सिंचाई खण्ड, उत्तरकाशी द्वारा पूरी तरह अनुपालन किया जायेगा।


सहायक अभियन्ता,
पी० एम० जी० एस० वाई०,
सिंचाई खण्ड, उत्तरकाशी


अधिरासी अभियन्ता,
पी० एम० जी० एस० वाई०,
सिंचाई खण्ड, उत्तरकाशी

Task Force Certificate

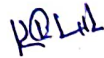
- (i) Lay out of the Land be followed as far as possible.
- (ii) Heavy cutting/filling be avoided-as far as possible. The technology of cut and fill method is to be adopted. Steep hill slopes also to be avoided.
- (iii) Unstable/slide-prone areas to be avoided. For identifying such areas the advice of Geotechnical engineers and geologists to be taken during the survey for alignment.
- (iv) Comparison of various possible alignments with reference to erosion potential be made and the alignment involving minimum erosion risks be preferred.

A part from the stage of planning the road alignment, effective steps are also required to be taken by ground engineer during the process of road construction for minimized ecological disturbance to the hill roads Broadly the measures to be taken have been identified as :-

- (i) Cut and fill method to be adopted while excavating for road formation and heavy earth cutting is to be avoided Box cutting is to be avoided to the extent possible.
- (ii) (ii) Blasting by explosives is to be restricted to the minimum. Lay out of holes to be drilled for blasting is to be planned keeping in view the line of least resistance and the existence of joints Controlled blasting should be repeated using low charge and care be taken to avoid activating slide zones or widening fissures and cracks in rock. Use of delay detonators in large scale blasting work is to be made for anaoline dispersion of chock waves, so that minimum disturbance is caused to the rock stratum as a result of the blasting process.
- (iii) (iii) All cut slopes, unusable hill side and slide prone erosion prone areas are to be provided with suitable correction measures by using one or the other of the techniques developed by CRRI. Several techniques have been sponsored by CRRI. like simple vegetative turning, bitumen much treatment and slide treatment by jute netting coir netting of these simple vegetative turning seems to be the most appropriate preventive measure in many situations. This should be established in the denuded slopes immediately after the excavation is made
- (v) Adequate drainage measures and protective structures like intercepting catch water drains, longitudinal drains/culvers, breast walls, retaining and the walls are provided for purposes of establishing the slips Growth vegetative cover is stimulated in the disturbed hill slopes above the road level by planting suitable fast growing shrubs and plants. In certain selected unstable areas terraced afforestation has also been plasticized as a stabilizing measure with good results.
- (vi) Over the past few years the roads wing of the Ministry of Shipping and transport has issued instruction laying down broad guidelines and check list of the preparation of road construction projects which provide an inbuilt mechanism of tackling land slides/erosion control for the guidance and follow up action by engineers of state 'PWD' Border Roads Organization and other engaged in construction of hill roads these should be observed.

प्रमाणित किया जाता है कि योजना आयोग द्वारा गठित टास्क फोर्स की उपरोक्त संस्तुतियाँ याचक विभाग को मान्य हैं।


सहायक अभियन्ता,
पी० एम० जी० एस० वाई०,
सिंचाई खण्ड, उत्तरकाशी


अधिसासी अभियन्ता,
पी० एम० जी० एस० वाई०,
सिंचाई खण्ड, उत्तरकाशी